

17/11/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

दपालाराध लक्ष्मी देवी बनाम सरकार

संख्या

33

सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
17/11/21	<p>तहसीलदार भूअ/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/दिनांक 17/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थी के नाम चक के खाता सं. के स्थान पर की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आधार पर वाके चक के खाता सं. में</p> <p>दपालाराध पुत्र गोपीराध शंकर शर्मा के स्थान पर दपालाराध शंकर शर्मा गोपीराध</p> <p>दपालाराध पुत्र गोपीराध शंकर शर्मा के स्थान पर दपालाराध पुत्र गोपीराध</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
5/11/21

